न्यायालय जिला कलक्टर, बीकानेर
बइजलास कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस. जिला कलक्टर, बीकानेर

मुकदमा संख्या 49/17 उपनिवेशन विविध

1. इब्राहिम खां पुत्र अल्लादीन जाति मुसलमान निवासी गुलामवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर
2. दीने खां पुत्र मूले खां जाति मुसलमान निवासी गुलामवाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर

–प्रार्थीगण

: ब ना म :

1. बाबूलाल पुत्र पांचीलाल साध निवासी नाल तहसील व जिला बीकानेर
2. श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि बाबूलाल साध निवासी नाल तहसील व जिला बीकानेर
3. राजस्थान सरकार

–अप्रार्थीगण

उपस्थितिः–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रणजीत सिंह निर्वाण हाजिर नही।
2. अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हरिकिशन उपाध्याय ।

अन्तर्गत नियम 22(3) राजस्थान उपनिवेशन
(इ.गा.न.प. क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1975

: आदेश :

दिनांक 23.10.19

1. प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना–पत्र दिनांक 29.01.14 को अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन (सतर्कता), बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने के कारण प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय को हस्तानान्तरित होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेशी में लिया गया। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सहायक आयुक्त उपनिवेशन कोलायत के आदेश दिनांक 13.05.2002 द्वारा बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये आवंटन नियमो के विपरित चक 1 एमकेडीए के मु.नं. 237/15 किलानं0 1 ता 25 में 24.05 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। व अप्रार्थी सं . 1व 2 को चक 11 बीएमके मु.नं. 89/10 के किला नं. 7,10 ता 14, 16 ता 19, 20,21,23 ता 25 व मु. नं. 89/11 में किला नं. 1,10 ता 12, 17 ता 25 की भूमि बतौर डबल आवंटन नियम विरूद्ध की गयी, को निरस्त की जावे।

जिला कलक्टर, बीकानेर

2. अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री हरिकिशन उपाध्याय ने उपस्थित आकर जवाब पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी।
3. तदन्तर नियत पेशी पर प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थी के अधिवक्ताकी बहस सुनी गयी।
4. प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि अप्रार्थीगण को चक 1 एमकेडी में किया गया मूल आवंटन सही है। आवंटन के समय कमाण्ड भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण अनकमाण्ड भूमि आवंटित की गयी जो अन्य को आवंटन होने के कारण बदले में कमाण्ड भूमि पात्रता के अनुसार आवंटित की गयी। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का तथ्य नही छिपाया गया। आवंटन नियमानुसार किया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा भी कोई भूल नही कीगयी है। अतःप्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
5. हमने अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी के अधिवक्ता को समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुए है। बहस हेतु नियत तिथी को भी वे उपस्थित नही हुए प्रार्थना पत्र के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य सबूत पेशन नहीं हुआ जिसके आधार पर यह माना जावे कि अप्रार्थीगणो को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 के नियम 22(3) स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित नहीं पाते है।
6. उपर्युक्त विवेचन के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।
7. आदेश आज दिनांक **23.10.2019** को हमारे द्वारा लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर, बीकानेर
जिला कलक्टर, बीकानेर